न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1193–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–4–15 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील हातोद जिला इंदौर प्रकरण कमांक 12/अ–27/13–14.

विजेन्द्र कुमार पिता स्व. जवरीलाल जैन
निवासी 171–के.ए. स्कीम नंबर 71, इंदौर ....आवेदक

विरूद्ध

1– नीरादेवी पति हंस कुमार जैन
निवासी भटेवरा बाजार, हातोद
तहसील हातोद जिला इंदौर

2– मनोज पिता स्व. जवरीलाल जैन
निवासी भटेवरा बाजार, हातोद
तहसील हातोद जिला इंदौर

3– अशोक पिता स्व. जवरीलाल जैन
निवासी 37, जावरा कम्पाउण्ड, इंदौर

4– सुरेश पिता स्व. जवरीलाल जैन
(मानसिक रूप से विकृतचित्त)
निवासी 171–के.ए. स्कीम नं. 71 इंदौर ....अनावेदकगण

श्री एम.एल. चौधरी, अभिभाषक, आवेदक
श्री विमल गंगवाल, अभिभाषक, अनावेदक क. 1

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 15/9/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 नीरादेवी द्वारा तहसीलदार, हातोद जिला इंदौर के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम हातोद स्थित संयुक्त स्वामित्व की भूमि खसरा कमांक 82/3 रकबा 2.525

हेक्टेयर का बटवारा किये जाने हेतु अनुरोध किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 12/अ–27/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक की ओर से संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका कमांक 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बंध में पूर्व से प्रकरण लम्बित है, अतः अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत बटवारा आवेदन पत्र निरस्त किया जाये । प्रकरण में दिनांक 25–11–14 को साधना जैन द्वारा भी प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उसके पक्ष में किये गये पंजीकृत वसीयतनामा की फोटो प्रति संलग्न कर आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 28–4–15 को आदेश पारित कर उक्त दोनों आवेदन पत्र निरस्त किये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ति ली गई थी कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में पूर्व से प्रकरण लम्बित है, और अनावेदिका कमांक 1 द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाकर बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए अनावेदिका कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत बटवारा आवेदन पत्र निरस्त किया जाये, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तथ्यों को छिपाकर कार्यवाही करना गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर तहसीलदार द्वारा बिना विचार किये आवेदक का ही आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि की गम्भीर भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदिका कमांक 1 को यह भलीभांति जानकारी है कि अनावेदक कमांक 4 सुरेश मानसिक रूप से विक्षिप्त है, फिर भी अनावेदिका कमांक 1 उसका कोई वादमित्र नहीं बनाया गया है, और तहसीलदार द्वारा उक्त वैधानिक बिन्दु पर कोई विचार किये बिना मानमाने ढंग से विधि विपरीत कार्यवाही की जा रही है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा प्राथमिक आपत्ति ली गई थी, जिस पर उसे पक्ष समर्थन का अवसर दिये बिना फर्द बटवारा तैयार करने के आदेश देने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिकता की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में व्यवहार

न्यायालय के आदेश का उल्लेख तो किया गया है, परन्तु तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विपरीत कार्यवाही करने में गंभीर त्रुटि की जा रही है ।

4/ अनावेदिका कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए आदेश पारित किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही की जा रही है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पूर्व में बटवारा प्रकरण कमांक 32/अ–27/2011–12 दर्ज किया जाकर दिनांक 22–4–13 को आदेश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17–9–2012 के पालन में प्रकरण में कार्यवाही स्थगित की गई थी । ऐसी स्थिति में तहसीलदार को बटवारे की कार्यवाही हेतु उसी प्रकरण को फिर से खोलना चाहिए था। जहां तक आवेदक की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का प्रश्न है, तहसीलदार द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक द्वारा कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त करने में उचित कार्यवाही की गई है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील हातोद जिला इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–4–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर